अध्याय II

मानव संसाधन

अध्याय II

मानव संसाधन

स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन महत्वपूर्ण होता है। मार्च 2022 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लगभग 21 *प्रतिशत* कर्मचारियों की कमी थी। 28 अस्पतालों/कॉलेजों में शिक्षण विशेषज्ञों, गैर-शिक्षण विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों की श्रेणी में क्रमशः 30, 28 और 9 *प्रतिशत* की कुल कमी थी जिनके अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे। इसके अतिरिक्त नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के संदर्भ में यह कमी क्रमशः 21 *प्रतिशत* और 38 *प्रतिशत* थी।

दिल्ली (2020-21) में एनएचएम के अंतर्गत 36 *प्रतिशत* पद रिक्त थे। अस्पतालों के रेडियोलॉजी विभाग में तकनीशियनों की तैनाती विषम संख्या में थी। पदोन्नति और करियर में प्रगति के अवसर के अभाव तथा अपरिवर्तित वेतन संरचना के परिणामस्वरूप नमूना जांच किए गए दो अस्पतालों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता में कमी और असंगति हुई। नमूना जांच किए गए लोक नायक अस्पताल में स्वास्थ्य शिक्षक, मुख्य फार्मासिस्ट, मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता और अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पदों पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी।

2.1 परिचय

किसी स्वास्थ्य संस्थान के प्रभावी और कुशल कामकाज के लिए पर्याप्त संख्या में प्रेरित, सशक्त, प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। अवसंरचना, उपकरण, औषधियों आदि जैसे अन्य घटकों में निवेश करने से पहले मानव संसाधन का नियोजन आवश्यक है। जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ), विशेषज्ञ, नर्स, संबद्ध स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासनिक और सहायक स्टाफ आदि के संदर्भ में कर्मचारियों की संख्या और प्रकार लोगों की स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिन्हें स्वास्थ्य संस्थान पूरा करता है, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जनशक्ति की उपलब्धता और संबंधित मुद्दों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2 स्वीकृत कर्मचारी संख्या के प्रति मानव संसाधन की उपलब्धता

स्वास्थ्य संबंधी किसी भी निदेशालय ने दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध स्थायी और संविदागत चिकित्सा कर्मचारियों की पूरी सूची नहीं रखी। इसलिए, लेखापरीक्षा ने कोषागार और लेखा विभाग, दिल्ली से प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के एक मॉड्यूल/एप्लिकेशन, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के आंकडों का विश्लेषण किया (31 मार्च 2022)। एचआरएमएस आंकड़ों में रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत विभिन्न विभागों में तैनात स्थायी कर्मचारियों की जानकारी शामिल है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए और उसका विश्लेषण किया-

i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

ii. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस)

iii. राज्य स्वास्थ्य मिशन

iv. औषधि नियंत्रण विभाग

v. मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज

vi. लोक नायक अस्पताल

vii. राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

viii. जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

ix. चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय

उपर्युक्त विभागों के सभी कार्यालयों के लिए स्वीकृत कर्मचारी संख्या और पदस्थापित कर्मचारियों का विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: विभिन्न स्वास्थ्य विभागों में जनशक्ति की स्थिति (मार्च 2022 तक)

विभाग/संस्थान का नाम	स्वीकृत कर्मचारी संख्या	मौजूदा संख्या	रिक्त पद	रिक्ति की प्रतिशतता
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	15,508	12,240	3268	21
महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस)	4,080	2,548	1532	37.55
राज्य स्वास्थ्य मिशन	3,222	2,186	1036	32.15
औषधि नियंत्रण विभाग	145	70	75	51.72
चयनित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल				
मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज	1,111	608	503	45.27
लोक नायक अस्पताल	4,280	3,699	581	13.57
राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	882	303	579	65.64
जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	457	159	298	65.20
चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	787	465	322	40.91

कुल स्वीकृत कर्मचारी संख्या में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और डीजीएचएस की प्रमुख हिस्सेदारी है। रिक्त पदों की प्रतिशतता के संदर्भ में उपर्युक्त दोनों विभागों/संस्थानों में 21 *प्रतिशत* और 37.55 *प्रतिशत* की कमी थी। **लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि डीजीएचएस में रिक्तियों का प्रतिशत 2016-17 के 19.96 *प्रतिशत* से बढ़कर 2021-22 में 37.55 *प्रतिशत* हो गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चयनित अस्पतालों और औषधि नियंत्रण विभाग में रिक्तियां बनी रहीं।**

अस्पताल के आंकड़ों[1] के विश्लेषण से नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी और इन स्वास्थ्य इकाइयों के बीच उनके असंगत वितरण का पता चला (**अनुलग्नक I**), जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

1. **नर्सिंग स्टाफ:** नर्सिंग स्टाफ की कुल मिलाकर कमी (21 *प्रतिशत*) थी और अस्पताल-वार कमी एक से 34 *प्रतिशत* तक थी। जीबी पंत अस्पताल (34 *प्रतिशत*), जीटीबी अस्पताल (28 *प्रतिशत*), एलएनएच (20 *प्रतिशत*) और भगवान महावीर अस्पताल (33 *प्रतिशत*) जैसे प्रमुख अस्पतालों में महत्वपूर्ण रिक्तियां थीं।

2. **पैरामेडिकल स्टाफ:** पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत 79 श्रेणियों के पद स्वीकृत थे, जिसके प्रति कुलमिलाकर स्टाफ की कमी (38 *प्रतिशत*) थी और 23 श्रेणियों के पदों के प्रति कोई स्टाफ तैनात नहीं था। व्यावसायिक

[1] 28 अस्पतालों/कॉलेजों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया।

थेरेपिस्ट/ फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, रिफ्रैक्शनिस्ट, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट, डायटिशियन, पोस्टमॉर्टम असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोप्टिस्ट, साइक्याट्रिक सोशल वर्कर, लैब तकनीशियन, ओटी टेक्निशियन, रेडियोग्राफर और मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन आदि **(अनुलग्नक I बी)** जैसे 19 विभिन्न श्रेणियों के पदों पर 30 *प्रतिशत* से अधिक रिक्तियां थीं।

3. **शिक्षण विशेषज्ञ, गैर-शिक्षण विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी:** शिक्षण विशेषज्ञों, गैर-शिक्षण विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों की श्रेणी में कुल कमी क्रमशः 30, 28 और 9 *प्रतिशत* थी। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर (38 *प्रतिशत*), एलएनएच (40 *प्रतिशत*) और बाबू जगजीवन राम मेमोरियल (44 *प्रतिशत*) जैसे प्रमुख अस्पतालों में गैर-शिक्षण विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण रिक्तियां थीं।

   तीन अस्पतालों (अंबेडकर नगर अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल और इंदिरा गांधी अस्पताल) में विशेषज्ञों का कोई स्वीकृत पद नहीं था, परंतु 11 गैर-शिक्षण विशेषज्ञ इन अस्पतालों में परिवर्तित क्षमता से काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इन अस्पतालों में 12 की स्वीकृत संख्या के प्रति 68 चिकित्सा अधिकारी परिवर्तित क्षमता से काम कर रहे थे।

   तीन अस्पतालों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पद के अभाव के संबंध में, सरकार ने कहा (दिसंबर 2023) कि इंदिरा गांधी अस्पताल में 36 विशेषज्ञों के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके प्रति 17 पद नियमित आधार पर भर दिए गए हैं।

   स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के कारण रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विभाग ने विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।

4. **27 जिला स्तरीय अस्पतालों में विशेषज्ञों की जिला एवं विभाग वार कमी**
   लेखापरीक्षा द्वारा जिला स्तर के 27 अस्पतालों[2] के विभिन्न विभागों में विशेषज्ञों/डॉक्टरों की स्वीकृत संख्या और उपलब्धता का आकड़ा एकत्र किया

[2] सात सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक केंद्रीय जेल अस्पताल तथा चार आयुष अस्पतालों को छोड़कर

गया। रा.रा.क्षे.दि.स. के एक विशेष राजस्व जिले में स्थित अस्पतालों को जिले-वार स्थिति का पता लगाने के लिए समूहीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 अस्पतालों में से कई अस्पतालों में, ईएनटी सेवाएं (3), जनरल मेडिसिन (2), बाल रोग (2), जनरल सर्जरी (3), नेत्र विज्ञान (2), दंत चिकित्सा (7), प्रसूति एवं स्त्री रोग (3), मनोचिकित्सा (19), आर्थोपेडिक्स (3) और त्वचाविज्ञान (5) उपलब्ध नहीं थे। आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि नई दिल्ली जिले में रा.रा.क्षे.दि.स. का कोई अस्पताल उपलब्ध नहीं था।

10 जिलों में फैले 27 अस्पतालों के 10 विशेष विभागों के अंतर्गत मार्च 2023 तक डॉक्टरों का जिले-वार विन्यास **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: अस्पतालों में विशेषज्ञों का जिलेवार विन्यास

विभाग[5] का नाम	केंद्रीय		पूर्व		उत्तर		उत्तर-पूर्व		उत्तर-पश्चिम		शाहदरा		दक्षिण		दक्षिण-पूर्व		दक्षिण-पश्चिम		पश्चिम		कुल		
	स्वी. सं.	मौ. सं.	स्वी. सं .	मौ. सं.	स्वी. सं.	मौ. सं.	स्वी. सं.	मौ. सं.	स्वी. सं.	मौ. सं.	स्वी. सं.	मौ. सं.	स्वी. सं.	मौ. सं.	स्वी. सं.	मौ. सं.	स्वी. सं.	मौ. सं.	स्वी. सं.	मौ. सं.	स्वी.सं.	मौ.सं.	कमी *प्रतिशत में*
का.ना.ग.	15	15	6	5	4	3	1	1	7	6	3	3	1	0	1	2	8	6	6	5	52	46	11
सा.चि.	30	15	3	1	12	3	3	3	22	16	8	6	2	0	3	3	23	8	21	14	127	69	45
बा.चि.	40	34	90	63	10	3	2	3	17	11	17	12	1	1	2	2	21	13	19	18	219	160	27
सा.श.चि.	33	22	24	14	10	3	2	2	12	7	7	3	1	0	3	1	23	7	17	14	132	73	44
ने.वि.	46	24	5	4	4	2	1	1	14	7	3	2	1	0	1	1	8	4	8	7	91	52	42
दंत चिकित्सा	1	0	5	2	6	1	2	1	8	5	2	2	1	0	2	1	6	3	8	5	41	20	51
प्र.वि. एवं स्त्रीरोग वि.	53	46	2	2	16	9	3	2	23	15	20	20	2	2	3	3	24	11	30	24	176	134	23
मनो.चि.	0	0	1	1	2	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	1	3	1	1	1	10	8	20
हड्डी रोग	31	29	8	8	8	3	2	2	12	6	5	5	1	0	2	1	16	8	13	8	98	70	28
त्व.वि.	7	7	5	4	3	2	1	1	5	4	3	2	1	0	1	1	4	2	6	3	36	26	27
कुल	256	192	149	104	75	29	17	16	123	80	68	56	11	3	18	16	136	63	129	99	982	658	
कमी *प्रतिशत में*		25		30		61		5		35		17		72		11		53		23			33

* जनशक्ति की कमी लाल रंग में अंकित है।

[5] का.न.ग. - कान, नाक, गला, सा.चि. - सामान्य चिकित्सा, बा.चि. - बाल चिकित्सा, सा.श.चि. - सामान्य शल्यचिकित्सा, ने.वि. - नेत्र विज्ञान, प्र.वि. एवं. स्त्री.रो.वि. - प्रसूति विज्ञान एवं स्त्रीरोग विज्ञान, मनो.चि. - मनोविज्ञान चिकित्सा, हड्डी.वि.- हड्डी रोग विज्ञान, त्व.वि. - त्वचा विज्ञान

रा.रा.क्षे.दि.स. के 27 अस्पतालों के दस विभागों में कुल मिलाकर 33 *प्रतिशत* डॉक्टरों की कमी थी। जिले-वार कमी दक्षिण में 72 *प्रतिशत*, उत्तर में 61 *प्रतिशत* और दक्षिण-पश्चिम जिलों में 53 *प्रतिशत* थी। दक्षिण-पूर्व (11 *प्रतिशत*) और उत्तर-पूर्व (5 *प्रतिशत*) को छोड़कर अन्य जिलों में डॉक्टरों की कमी 17 से 30 *प्रतिशत* के बीच थी।

जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, नेत्र विज्ञान और दंत चिकित्सा में विशेषज्ञों की कुल कमी क्रमशः 45, 44, 42 और 51 *प्रतिशत* थी। ई.एन.टी. (11 *प्रतिशत*) को छोड़कर अन्य विभागों में डॉक्टरों की कमी 20 से 33 *प्रतिशत* के बीच थी।

दक्षिण-पश्चिम और उत्तरी जिलों के अस्पतालों के सभी विभागों में डॉक्टरों की कमी थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम जिलों में मनोचिकित्सा को छोड़कर सभी विभागों में कमी देखी गई।

2.3 महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की उपलब्धता

डीजीएचएस में, 1,532 पद, अर्थात कुल स्वीकृत संख्या 4,080 में से 37.55 *प्रतिशत* रिक्त थे। श्रेणी-वार रिक्ति की स्थिति **तालिका 2.3** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.3: डीजीएचएस में कर्मचारियों की स्थिति

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	रिक्त पद	रिक्ति की प्रतिशतता
डॉक्टर	677	539	138	20.38
नर्स	560	526	34	6.07
पैरामेडिक	985	755	230	23.35
अन्य[6]	1,858	728	1,130	60.82
कुल	**4,080**	**2,548**	**1,532**	**37.55**

स्रोत: डीजीएचएस, रा.रा.क्षे.दि.स. का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि उपर्युक्त चार श्रेणियों के अंतर्गत रिक्त पद 6.07 *प्रतिशत* से 60.82 *प्रतिशत* तक हैं।

[6] ड्रैसर, सफाई कर्मचारी, परिचारक आदि।

2.4 औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) के अंतर्गत मानव संसाधन

डीसीडी, दिल्ली की कुल स्वीकृत कर्मचारी संख्या 145 थी। यह देखा गया है कि डीसीडी में 51.72 *प्रतिशत* पद, अर्थात 75 पद रिक्त पड़े थे। डीसीडी में कुछ पदों पर जनशक्ति की कमी **तालिका 2.4** में दी गई है।

तालिका 2.4: डीसीडी के अंतर्गत जनशक्ति की स्थिति (सितंबर 2022 तक)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	रिक्त पद	रिक्ति की प्रतिशतता
1.	औषधि नियंत्रक	1	0	1	100
2.	उप औषधि नियंत्रक	2	1	1	50
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	1	0	1	100
4.	औषधि निरीक्षक	46	17	29	63
5.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	4	0	4	100
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	14	2	12	86
7.	प्रयोगशाला सहायक	2	1	1	50
8.	नमूना पैकर	1	0	1	100
	कुल	**71**	**21**	**50**	**70.42**

स्रोत: डीसीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

तालिका 2.4 से देखा जा सकता है कि औषधि निरीक्षक (63 *प्रतिशत*), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (100 *प्रतिशत*) और वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (86 *प्रतिशत*) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की भारी कमी थी।

2.5 नमूना जांच किए गए अस्पतालों में स्वीकृत कर्मचारी संख्या और उपलब्धता

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान, **तालिका 2.5** में दिए गए विवरण के अनुसार, चार चयनित अस्पतालों में स्वीकृत संख्या के प्रति डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ/तकनीशियनों और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता में कमी थी।

तालिका 2.5: चयनित अस्पतालों में कर्मचारियों की स्थिति

अस्पताल का नाम	स्वीकृत संख्या	तैनात कर्मचारियों की संख्या						रिक्ति (*प्रतिशत में*)
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
डॉक्टर								
एलएनएच	669	542	542	553	551	573	587	12 से 19
आरजीएसएसएच	238	61	64	82	73	115	119	50 से 74
सीएनबीसी	189	121	106	144	132	119	127	24 से 44
जेएसएसएच	158	74	70	78	79	57	76	50 से 64
पैरामेडिकल स्टाफ								
एलएनएच	464 (16-17) 464 (17-18) 464 (18-19) 463 (19-20) 507 (20-21) 553 (21-22)	363	345	327	316	348	454	18 से 32
आरजीएसएसएच	136	106	96	78	67	67	60	22 से 56
सीएनबीसी	105	93	74	73	75	89	76	11 से 30
जेएसएसएच	88 (2016-17) 90 (2017-22)	36	42	34	36	34	31	53 से 66
नर्सिंग स्टॉफ								
एलएनएच	1,646 (20-22 में 1650)	1,449	1,440	1,416	1,382	1,458	1,576	4 से 16
आरजीएसएसएच	428	16	19	19	114	114	114	73 से 96
सीएनबीसी	408	238	237	236	221	220	213	42 से 48
जेएसएसएच	174	36	36	34	32	30	30	79 से 83

- एलएनएच में, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ/तकनीशियनों और नर्सिंग स्टाफ की कमी क्रमशः 12 से 19 *प्रतिशत*, 18 से 32 *प्रतिशत* और 4 से 16 *प्रतिशत* के बीच थी।
- सीएनबीसी में, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ/तकनीशियनों और नर्सिंग स्टाफ की कमी क्रमशः 24 से 44 *प्रतिशत*, 11 से 30 *प्रतिशत* और 42 से 48 *प्रतिशत* के बीच थी।
- आरजीएसएसएच में, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ/तकनीशियनों और नर्सिंग स्टाफ की कमी क्रमशः 50 से 74 *प्रतिशत*, 22 से 56 *प्रतिशत* और 73 से 96 *प्रतिशत* के बीच थी।
- जेएसएसएच में, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ/तकनीशियनों और नर्सिंग स्टाफ की कमी क्रमशः 50 से 64 *प्रतिशत*, 53 से 66 *प्रतिशत* और 79 से 83 *प्रतिशत* के बीच थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए सभी अस्पतालों में विभिन्न संवर्गों में विशिष्ट और महत्वपूर्ण कमियों को नीचे उजागर किया गया है:

- मार्च 2022 तक एलएनएच में एनेस्थीसिया, न्यूरोसर्जरी, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, रेडियो-डायग्नोसिस, जनरल मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स के विभिन्न विभागों में कुल मिलाकर 21 *प्रतिशत* विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी थी। नवजात शिशु विभाग में अप्रैल 2016 में सृजित नौ नए पदों के प्रति वरिष्ठ रेसिडेंट चिकित्सकों की भारी कमी थी जिन्हें केवल जनवरी 2023 में भरा गया। इसके अतिरिक्त, सीसीयू सहायक, तकनीकी पर्यवेक्षक (पीसीआर), तकनीकी सहायक (डायलिसिस), तकनीकी सहायक (ईएनटी), तकनीकी पर्यवेक्षक (ईएनटी), मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक सहायक, स्वास्थ्य शिक्षक, मुख्य फार्मासिस्ट, मैकेनिक ओटी, न्यूरो तकनीशियन, न्यूरो सहायक ओटी, लॉन्ड्री मैकेनिक, अग्नि सुरक्षा अधिकारी आदि जैसे कुछ पदों के प्रति किसी भी व्यक्ति को सितंबर 2022 तक तैनात नहीं किया गया था।

- जेएसएसएच में वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान माइक्रोबायोलॉजी एवं पैथोलॉजी में तथा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान कार्डियोलॉजी विभाग में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर पदस्थापित नहीं था। इसके अतिरिक्त 24 स्वीकृत पदों के प्रति (आठ विभागों[7] में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर का एक-एक पद) केवल दो प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर और पांच सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई (मार्च 2022)। मार्च 2022 तक कुछ पदों जैसे तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी), स्पीच थेरेपिस्ट, वरिष्ठ रेडियोग्राफर (रेडियोलॉजी), डार्क रूम अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट और ड्रेसर के प्रति किसी भी व्यक्ति को तैनात नहीं किया गया था। मार्च 2022 तक तकनीकी सहायकों (सात में से पांच रिक्त), ईसीजी तकनीशियन (पांच में से दो रिक्त) और रेडियोग्राफर (24 में से 23 रिक्त) के पदों पर रिक्तियां थीं।

- आरजीएसएसएच में, 2016-17 से 2017-18 की अवधि के दौरान 26 प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर की स्वीकृत संख्या के प्रति कोई

[7] कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायलॉजी

प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर उपलब्ध नहीं था, जबकि वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान केवल एक से पांच तक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर उपलब्ध थे।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि आरजीएसएसएच एसआर के लिए नियमित वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित करता है और पैरामेडिकल स्टाफ के पद के लिए निविदा जारी की गई है जो प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार, विभागों/अस्पतालों में डॉक्टरों/पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी का सीधा प्रभाव रोगी देखभाल सेवाओं पर पड़ता है।

नमूना जांच किए गए अस्पतालों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण देखे जहां जनशक्ति की कमी के कारण ओटी का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए अस्पतालों में सर्जरी के लिए औसत प्रतीक्षा समय एक महीने से 10 महीने के बीच था। इसका विवरण प्रतिवेदन के अध्याय III में दिया गया है।

2.6 चयनित स्वायत्त सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में शिक्षक डॉक्टरों की कमी

लेखापरीक्षा ने रा.रा.क्षे.दि.स. के चयनित स्वायत्त[8] राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (आरजीएसएसएच) और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (जेएसएसएच) में शिक्षक डॉक्टरों की उपलब्धता की जांच की।

रा.रा.क्षे.दि.स. और संबंधित अस्पतालों के बीच एमओए के अनुसार, शिक्षक डॉक्टरों की भर्ती तीन साल के बाद निष्पादन की समीक्षा के साथ निश्चित पारिश्रमिक पर पांच साल के लिए की जानी है और पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर निश्चित पारिश्रमिक पर सेवानिवृत्ति तक हर बार एक साल का विस्तार किया जाना है। जुलाई 2014 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा शिक्षण संकायों के लिए पारिश्रमिक तय किया गया था, अर्थात सहायक प्रोफेसर (₹ 1.25 लाख), एसोसिएट प्रोफेसर (₹ 1.65 लाख) और प्रोफेसर (₹ 2.00 लाख)।

8 आरजीएसएसएच और जेएसएसएच दोनों को आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए उन्नत केंद्रों के रूप में कार्य करना था और पोस्ट-डॉक्टरल और स्नातकोत्तर स्तरों के लिए अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाओं के रूप में स्थापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक संतुष्ट और सुसंगत कार्यबल के लिए पदोन्नति और कैरियर की प्रगति के पहलुओं को एमओए में शामिल नहीं किया गया था। पदोन्नति और करियर में प्रगति के अवसरों के अभाव में, आरजीएसएसएच और जेएसएसएच शिक्षक डॉक्टरों को आकर्षित करने में विफल रहे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरजीएसएसएच में 85 की स्वीकृत संख्या के प्रति 14 (2017-18) से 29 (2020-21) शिक्षक डॉक्टर (नियमित/संविदात्मक) थे, जबकि जेएसएसएच में 24 की स्वीकृत संख्या के प्रति अधिकतम आठ शिक्षक डॉक्टर थे (31 मार्च 2021)। वर्ष 2016-17 में, जेएसएसएच में कोई शिक्षण संकाय तैनात नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जीआई सर्जरी, यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशियलिटी विभागों को चलाने के लिए सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की उपलब्धता में कमी और असंगतता हुई।

यह भी देखा गया कि संविदात्मक निबंधनों और शर्तों को संशोधित करने और पारिश्रमिक बढ़ाने के बजाय, आरजीएसएसएच ने एक वर्ष के लिए शिक्षण संकाय की भर्ती शुरू कर दी और उसके बाद एक वर्ष का समय विस्तार दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, एक वर्ष के लिए भी पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, डॉक्टरों (शिक्षण संकाय, एसआर और जेआर) को तीन महीने के लिए वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किया गया था और फिर और तीन महीने के लिए विस्तार दिया गया था। डॉक्टरों के बार-बार बदलने के अतिरिक्त उनकी कमी के कारण अस्पतालों का कामकाज प्रभावित हुआ, जिससे रोगियों को सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने में इन अस्पतालों की क्षमता में समझौता हुआ।

2.7 चयनित मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत कर्मचारी संख्या और कार्यरत कर्मचारी

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के तीन मेडिकल कॉलेज हैं। विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6: रा.रा.क्षे.दि.स. के मेडिकल कॉलेजों का विवरण

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	सीटों की संख्या
1	डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	2016	125
2	मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	1959	250
3	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और जीटीबी अस्पताल, नई दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	1971	170

मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। एमसीआई (अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) द्वारा जारी मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 इस बात पर ज़ोर देता है कि शिक्षा को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए शिक्षकों की संख्या प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। कॉलेज का शिक्षण स्टाफ अस्पताल में रोगियों की देखभाल की सेवाएं भी प्रदान करता है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान, एमएएमसी में कुल मिलाकर 20 से 32 *प्रतिशत* संकाय सदस्यों की कमी थी जैसा कि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: एमएएमसी में कर्मचारियों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पद	रिक्ति	रिक्ति (*प्रतिशत में*)
2016-17	288	195	93	32
2017-18	291	207	84	29
2018-19	292	211	81	28
2019-20	292	213	79	27
2020-21	292	234	58	20
2021-22	295	226	69	23.39

इसके अतिरिक्त, कुल 295 शिक्षण संकाय पदों में से 73 पद अस्थायी प्रकृति के थे व एमएएमसी में पिछले 20 वर्षों से ऐसे ही चल रहे थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न श्रेणियों[9] में 38 अस्थायी पद रिक्त पड़े थे (मार्च 2021)।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि एमएएमसी ने शिक्षण संकायों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

[9] नियोनेटोलॉजी (1), पल्मोनरी मेडिसिन (2), बाल विकास केंद्र (7), विकिरण भौतिकी (1), जेनेटिक लैब (1), सर्जरी (4), मेडिसिन (4), प्रजनन जीव विज्ञान केंद्र (ओ एंड जी विभाग)-(9), और नेफ्रोलॉजी (9)

2.8 नर्सिंग कॉलेज, एलएनएच में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और उपलब्धता

भारतीय नर्सिंग काउंसिल के दिशानिर्देशों के अनुसार, 40-60 छात्रों के प्रवेश वाले प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य और उप प्राचार्य का एक-एक पद एवं एसोसिएट प्रोफेसर के दो पद तथा सहायक प्रोफेसर के तीन पद होने चाहिए। कुल छात्रों की संख्या के 1:10 के अनुपात में शिक्षक होने चाहिए। एलएनएच के नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में 172 (2016-17) से 224 (2021-22) छात्र पढ़ रहे थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 2016-17 से 2021-22 के दौरान किसी प्राचार्य की तैनाती नहीं की गई।
- मानदंड के अनुसार पांच एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर की आवश्यकता थी। इसके विपरीत, चार स्वीकृत पदों में से केवल दो पद भरे गए थे (2018-19 के बाद), जबकि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के छः पदों की स्वीकृत संख्या के प्रति एक (2019-20) से पांच (2018-19) तक भरे गए।
- मानदंड के अनुसार 17 से 22 शिक्षकों की आवश्यकता थी। तथापि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कॉलेज में 16 की स्वीकृत संख्या के प्रति केवल 10 से 13 शिक्षक ही तैनात थे। इस प्रकार, स्वीकृत कर्मचारी संख्या के प्रति शिक्षण स्टाफ में 19 *प्रतिशत* (2018-19) से 37 *प्रतिशत* (2019-20) तक की कमी थी।

2.9 एनएचएम के अंतर्गत रिक्त पद

भारत सरकार और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनएचएम के अंतर्गत संविदात्मक/बहि:स्रोतित मानव संसाधन को नियुक्त किया जाना है। डीएसएचएस हर वर्ष 12 महीने की अवधि के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) को (एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता सहित) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजता है। इसके बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय, भारत सरकार प्रस्तावित पीआईपी के प्रति कार्यवाहियों के अभिलेख (आरओपी) में मानव संसाधन को अनुमोदन देता है।

2020-21 की अवधि के लिए डीएसएचएस के आरओपी (अनुमोदित पीआईपी) के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ आदि के 2,581 पदों को मंजूरी दी, जिसके प्रति केवल 1,643 पद भरे गए थे और 938 पद (36 *प्रतिशत*) मार्च 2021 तक रिक्त पड़े थे।

पदों की विभिन्न श्रेणियों में कमी **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: एनएचएम के अंतर्गत कर्मचारियों की उपलब्धता

क्र.सं.	पद की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त	रिक्ति (*प्रतिशत* में)
1.	नर्स	1,163	845	318	27
2.	तकनीशियन	439	347	92	21
3.	फार्मासिस्ट	134	98	36	27
4.	फिजियोथेरेपिस्ट/व्यवसाय चिकित्सक	21	0	21	100
5.	चिकित्सा अधिकारी (डॉक्टर)	105	75	30	29
6.	सामाजिक कार्यकर्ता	22	2	20	91
7.	मनोचिकित्सक	5	0	5	100
8.	राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए दंत चिकित्सा कर्मचारी	106	0	106	100
9.	सलाहकार	37	5	32	86
10.	मनोवैज्ञानिक	19	1	18	95
11.	सूक्ष्म जीव विज्ञानी	6	2	4	67
12.	ऑडियोमेट्रिक सहायक/ऑडियोलॉजिस्ट	18	1	17	94
13.	प्रयोगशाला सहायक/अटेंडेंट	23	13	10	43
14.	परामर्शदाता	29	1	28	97
15.	विविध चिकित्सा कर्मचारी	403	249	154	38
16.	अन्य प्रशासनिक कर्मचारी	51	4	47	92
कुल		**2,581**	**1,643**	**938**	**36**

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि चिकित्सा अधिकारी (29 *प्रतिशत*), नर्स (27 *प्रतिशत*), फार्मासिस्ट (27 *प्रतिशत*), प्रयोगशाला सहायक (43 *प्रतिशत*) और सलाहकार (86 *प्रतिशत*) जैसे प्रमुख पदों पर महत्वपूर्ण रिक्तियां थीं।

डीएसएचएम ने कहा (जुलाई 2022) कि वह मौजूदा संविदात्मक कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां देकर कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संचालन करता है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीएसएचएस ने भारत सरकार द्वारा पीआईपी में अनुमोदित पर्याप्त संविदात्मक/बहि:स्रोतित कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

2.10 रेडियोलॉजी स्टाफ की तैनाती

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा जारी परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 और मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी मॉड्यूल (विकिरण ऐप्लिकेशंस-ईएलओआरए के ई-लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश) के अनुसार, सभी एक्स-रे उपकरणों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु रेडियोलॉजिस्ट/एक्स-रे ऑपरेटरों/तकनीशियनों की उपलब्धता अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने उपलब्ध मशीनरी और उपकरणों जून 2022 तक की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाओं में रेडियोलॉजिस्ट/डॉक्टरों और तकनीशियनों की उपलब्धता के अभिलेखों की जांच की (**अनुलग्नक II**)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच अस्पतालों अर्थात राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल, सत्यवती राजा हरीश चंद अस्पताल (एसआरएचसीएच), गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल, दीप चंद बंधु अस्पताल तथा ए एंड यू तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल में कोई विशेषज्ञ/जीडीएमओएस/एसआर नहीं था, जिससे ईएलओआरए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एक्स-रे फिल्मों की रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, दो अस्पतालों अर्थात राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में एक्स-रे मशीनों के उपलब्ध होने के बावजूद कोई तकनीशियन तैनात नहीं किया गया।

इस मुद्दे को सचिव (स्वा. एवं परि. कल्या.) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक (दिसंबर 2018) में भी उठाया गया था।

डीजीएचएस ने कहा (फरवरी 2022) कि नैदानिक सेवाओं में सभी संवर्गों के संबंध में अस्पतालों में जनशक्ति का विन्यास उनके दायरे में नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनशक्ति के विन्यास की समग्र जिम्मेदारी विभाग/डीजीएचएस की है।

सिफारिश 2.1: रा.रा.क्षे.दि.स. की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के कामकाज में सुधार के लिए स्वीकृत पदों के प्रति रिक्तियां भरी जानी चाहिए।

सिफारिश 2.2: अपने स्वायत्त अस्पतालों में शिक्षक डॉक्टरों की कमी को देखते हुए, सरकार शिक्षक डॉक्टरों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए भर्ती मानदंडों की समीक्षा करे ताकि इन अस्पतालों में शिक्षक डॉक्टरों के संतुष्ट और सुसंगत कार्यबल उपलब्ध हो सके।